

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजेश कुमार बनाम चैतन्य सैनी वगै०

दावा अ.धा. 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर:- 50/2022

किस्म मुकदमा:- तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

06.05.2022

वादी की ओर से वकील श्री कमल कुमार शर्मा एड० ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकलें साधारण तरीके से एवं रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 27.05.2022 को पेश हो।

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

27-5-22

पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरिकेन उप/सम्मन मय तलबी आदेश जारी की जाये। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21-6-22 को पेश हो।

*(Signature)*

28/22

इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मोंटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22-09-22 को पेश हो।

22.09.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण मय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील वादीगण व पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादीगण एवं पक्षकारान् की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

*(Signature)*  
दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

